न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :— बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या 36/2016 (कम्प्यूटर नं. 2016/00101)

प्रार्थी

1. श्री सामरिया सागर बालाजी गौशाला पांचवा रोड़ कुचामनसिटी जरिये उपाध्यक्ष रामुराम कुमावत पुत्र घासीराम कुमावत उम्र 60 वर्ष निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।
2. श्री सामरिया सागर बालाजी गौशाला पांचवा रोड़ कुचामनसिटी जरिये उप मंत्री गोवर्धन सोमानी पुत्र शिवनारायण सोमानी जाति सोमानी उम्र 66 वर्ष निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. देवीदान सेवावत पुत्र सबलदान जाति चारण निवासी ग्राम मूनपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
2. उप पंजीयक कुचामनसिटी
3. राजस्थान जरिए प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी

प्रार्थना—पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धा.212 राज.काश्त. अधिनियम 1955

उपस्थित — श्री पुष्पेन्द्रसिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनॉक :— 30.8.2019

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद संख्या 19/2015 इसी अनुवान का इस न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जिसमे सफलता मिलने की पुरी—पुरी सम्भावना है, प्रार्थी संख्या 1 व 2 श्री सामरिया सागर बालाजी गौशाला पांचवा रोड़ कुचामनसिटी के उपाध्यक्ष व मंत्री है तथा गौशाला के हितो के विपरीत नही है, श्री सामरिया सागर बालाजी गौशाला पांचवा रोड़ कुचामनसिटी राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत पंजीयन क्रमांक/961/09 के तहत पंजीकृत है तथा राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन क्रमांक 170/07—08 दिनॉक 04.08.2008 द्वारा रजिस्टर्ड है। मौजा कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1430,14[illegible], 1433, 1434, 1435, 1449, 1450, 1461, 1462, 1463, [illegible] 1475, 1479, 1480, 1561, 1575, 2637/1435 कुल [illegible] चली आ रही है जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हु[illegible] उक्त भूमि मौके पर बंटी हुई है परन्तु बाई मीट्स ए[illegible] बाउण्डस विभाजन [illegible] दिन तक नही हुआ है, प्रार्थीगण को अप्रार्थीग संख्या 1 द्वारा श्री सामरिया सागर बालाजी गौशाला पांचवा रोड़ कुचामनसिटी को धार्मिक भावना से ओत—प्रोत होकर

.....2.....

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:06:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

गायों की सुरक्षा व रक्षार्थ उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 1430,1431,1432, 1433, 1434, 1435, 1449, 1450, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1474, 1475, 1479, 1480, 1561, 1575, 2637/1435 में अपने हक–हिस्से की भूमि रकबा 0.9650 हैक्टर में से 0.3236 हैक्टर भूमि को दान देने का प्रस्ताव प्रार्थीगण के समक्ष रखा तथा प्रार्थीगण ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया तब अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बिना किसी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त किए उक्त भूमि रकबा 0.3236 हैक्टर भूमि का दान रजिये रजिस्टर्ड दान विलेख दिनॉक 12.02.2015 को प्रार्थीगण के पक्ष में तहरीर व तकमील कर कब्जा भौतिक रूप से सुपुर्द किया गया जहॉ कब्जा प्रार्थीगण को भौतिक रूप से सुपुर्द किया गया वहॉ पूर्व का कब्जा प्रार्थीगण का काफी वर्षो से चला आ रहा था जिसका उल्लेख दान विलेख में भी किया गया है, अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण को दान खातेदारी संयुक्त होने के कारण सभी खसरान में से किया गया था परन्तु भूमि पूर्व में मौके पर बंटी होने व गौशाला का कब्जा पूर्व में खसरा नम्बर 1561 में पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिण 0.3236 हैक्टर पर होने से कब्जा वही सुपुर्द किया गया है, प्रार्थीगण का कब्जा खसरा नम्बर 1557 के पूर्वी तरफ की सीमा से सटते हुए उत्तर से दक्षिण खसरा नम्बर 1561 में स्थित चला आ रहा है जिस पर आज दिन प्रार्थीगण काबिज खातेदार कृषक है तथा उपरोक्त भूमि की खातेदारी अलग कराकर माफिक रेकर्ड में संशोधन करवाकर नक्शे में अलग से तरमीम करवाने के लिए वाद बाबत घोषणा रेकर्ड दुरूस्ती व भू–विभाजन का पेश करना लाजमी हुआ, अप्रार्थी को विभाजन कराने के कहने पर उसने मना कर दिया तथा 1561 में पश्चिमी तरफ स्थित उत्तर से दक्षिण भूमि रकबा 0.3236 हैक्टर भूमि को भी प्लाटो के नक्शे में सम्मिलित कर लिया है तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि का भी प्लोटो के रूप में बेचान कर उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्री करवा देगा, अप्रार्थी भूमि बेचान के दौरान पड़ौस अंकित कर बेचान नही इसके लिए उसे पाबंद करना निहायत ही जरूरी है, प्रथम दृष्टया मामल, सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति के तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है तथा प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है अप्रार्थी यदि इसी दौरान बेचान हस्तानान्तरण इत्यादि करने में सफल हो गया तो उन्हे भारी असुविधा होगी जिसकी क्षतिपूर्ति निकट भविष्य में किसी भी प्रकार से सम्भव नही होगी, अतः प्रार्थी की इस्तदुआ है कि कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1430,1431,1432, 1433, 1434, 1435, 1449, 1450, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1474, 1475, 1479, 1480, 1561, 1575, 2637/1435 में अप्रार्थी संख्या 1 को बिना विधिवत बंटवारा कराये प्लाट काटकर पड़ौस दर्शात हुए बेचान हस्तानान्तरण किन्ही अन्य व्यक्तियों को नही करे तथा न ही ऐसा अपने एजेण्टो प्रतिनिधियों से करवाये तथा प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1561 में पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिण स्थित भूमि रकबा 0.3236 हैक्टर के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नही करे तथा अप्रार्थी सं. 2 अप्रार्थी सं.1 द्वारा उपर्युक्त भूमि के संबंध में पेश किये गये बेचान हस्तानान्तरण विलेख का पंजीयन अपने कार्यालय में नही करे तथा अप्रार्थी संख्या 3 उपर्युक्त खसरा नम्बरान की भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:06:41 IST
Reason: SelfAttested

.....3.....

उपखण्ड अधिकारी

आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थीगण बावजूद इतला अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दौराने सुनवाई मूलचन्द औमप्रकाश रतनलाल पि. घीसा बाबर नाई मोहनी सोहनी सन्तोष पुत्रिया घीसा नाई बाबर द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) सपठित आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का प्रस्तुत किया जिस पर सुनवाई कर खारिज किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीगण की ओर से चालू जमाबन्दी नकल 2066–2069 एवं दान–पत्र (गिफट डीड) दिनॉक 12.02.2015 की छाया प्रति प्रस्तुत की।

वकील प्रार्थी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई, जिन्होने कथन किया है कि प्रार्थना–पत्र में अंकित इस्तदुआ अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पांबद फरमाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज इत्यादि का अवलोकन किया गया। जमाबंदी मुताबिक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी सुदा भूमि अन्य खातेदारान के साथ राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है, जिसका विभाजन नही हुआ है, प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण के 0.3236 हैक्टर का दान–पत्र (गिफट डीड) दिनॉक 12.02.2015 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निष्पादित किया गया है जिसका राजस्व रेकार्ड में जरिये नामान्तरकरण संख्या 4627 दिनॉक 24.02.2015 को अमल दरामद हुआ है। उपरोक्त भूमि में किसी भी रूप में अन्य को बेचान हस्तानान्तरण, मौके पर प्लाट इत्यादि अप्रार्थी नही काटे इसके लिए जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबंद किया जाना आवश्यक है। उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रार्थीगण के कथनो से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1430,1431,1432, 1433, 1434, 1435, 1449, 1450, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1474, 1475, 1479, 1480, 1561, 1575, 2637/1435 में जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद किया जाता है कि बिना विधिवत बंटवारा कराये बेचान हस्तानान्तरण इत्यादि नही करे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे, अप्रार्थी संख्या 2 उक्त खसरान का अप्रार्थी देवीदान द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज का पंजीयन स्वीकार नही करे, अप्रार्थी संख्या 3 अप्रार्थी देवीदान के हिस्से की राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified

आदेश आज दिनॉक 30.08.... सरे इजला सुनाया गया।

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:06:41 IST
Reason: SelfAttested

(बाबूलाल जाट RAS,)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)